परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 26 नवम्बर 2015 पर आधारित है।

ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशिया विकास बैंक

भारत : राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम

परियोजना का नाम	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम
परियोजना संख्या	49228-001
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	प्रस्तावित
परियोजना प्रकार/सहायता की विधि	ऋण
निधीयन का स्रोत /राशि	**एमएफएफ सुविधा अवधारणा : राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम** साधारण पूंजी संसाधन — यूएस $ 500.00 मिलियन
रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन और क्षमता विकास निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर/सब–सेक्टर	**परिवहन** – सड़क परिवहन (अ–नगरीय)
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कतिपय लैंगिक तत्व
वर्णन	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम के तहत लगभग 2300 किलोमीटर राज्य राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के समुन्नतन और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की क्षमता सुधार द्वारा राजस्थान राज्य के सड़क परिवहन की कुशलता और सुरक्षा में सुधार होगा। यह निवेश कार्यक्रम राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम (आरएसएचडीपी) का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य लगभग 20,000 किलो मीटर राज्य राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों का सुधार 2–लेन अथवा विद्यमान लेन को दो चरणो ंके रूप में करना है।
परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबद्धता	राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10 प्रतिशत में फैला देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या 68.6 मिलियन है जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत है। यह भारत के न्यून आय राज्यों में एक है। राज्य की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है तथा आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित है। राज्य की जनसंख्या व्यापक रूप से प्रकीर्ण होने के कारण प्रति व्यक्ति विकास की लागत बहुत अधिक है। राजस्थान में सड़क धनत्व राष्ट्रीय औसत 110 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की तुलना में लगभग 60 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। वर्षों तक न्यून–निवेश तथा अपर्याप्त रखरखाव के कारण राज्य के राजमार्ग तथा एमडीआर्'स घटिया हालत में हैं।

प्रभाव	सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों हेतु पहुंच में सुधार।
परिणाम	राजस्थान राज्य राजमार्गों पर परिवहन की कुशलता तथा सुरक्षा में सुधार।
आउटपुट्स	राज्य राजमार्गों का सुधार तथा राजस्थान पीडब्ल्यूडी की प्रमुख जिला सड़कों की क्षमता में वृद्धि।
भूभौगोलिक अवस्थिति	

पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं का सारांश

पर्यावरण पहलू	निवेश कार्यक्रम की प्रस्तावित किश्त 1 के लिए, संभावित पर्यावरण सुरक्षोपाय संवर्ग ″ख″ है। पीडब्ल्यूडी के परमार्शदाता सभी अपेक्षित सुरक्षोपाय दस्तावेज तैयार करेंगे, जिनमें पर्यावरण आकलन तथा समीक्षा संरचना, आरंभिक पर्यावरण जांचें (अथवा पर्यावरण प्रभाव आकलन जो भी आवश्यक है) तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना शामिल है।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	अस्वैच्छिक पुनर्वास संवर्ग ″क″ है। पीडब्ल्यूडी के परमार्शदाता सभी अपेक्षित सुरक्षोपाय दस्तावेज तैयार करेंगे, जिनमें पुनर्वास संरचना तथा पुनर्वास योजना शामिल है।
स्वदेशी लोग	स्वदेशी लोग संवर्ग ″ग″ है। पीडब्ल्यूडी के परमार्शदाता सभी अपेक्षित सुरक्षोपाय दस्तावेज, जिनमें स्वदेशी लोग योजना संरचना शामिल है, एडीबी के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009), तथा संबंधित सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों, विनियमों तथा नीतियों के अनुसार तैयार करेंगे।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामश

परियोजना डिजाइन के दौरान	टीबीडी
परियोजना क्रियान्वयन के दौरान	टीबीडी

व्यवसाय अवसर

परामर्शी सेवाए	परियोजना प्रबंधन, संविदा प्रशासन तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों में परियोजना क्रियान्वन इकाई की सहायता के लिए परामर्शदाता फर्म्स तथा व्यक्तिगत परामर्शदाताओं का चयन किया जाएगा। सिविल कार्यों के लिए ठेकेदारों का चयन किया जाएगा।
प्रापण	सामग्री तथा कार्यों का सभी प्रापण एडीबी के प्रापण मार्गदर्शी सिद्धांत (अप्रैल 2015, समय समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार किया जाएगा। सभी परामर्शदाताओं की नियुक्ति एडीबी के परामर्शदाताओं के उपयोग के विषय में मार्गदर्शी सिद्धांत (मार्च 2013, समय समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार किया जाएगा। अग्रिम संविदा तथा पूर्वप्रभावी वित्तपोषण पर विचार किया जाएगा तथा इनका उपयोग परियोजना क्रियान्वन में तेजी के लिए किया जाएगा। काल–खंड वित्तपोषण दृष्टिकोण आवश्यकता के अनुसार अपनाया जाएगा।

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	चेन चेन
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	परिवहन और संचार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	राजस्थान सरकार मेन बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर–302005, भारत

समयसारणी	
अवधारणा मंजूरी	16 जुलाई 2015
तथ्य अन्वेषण	14 दिसम्बर 2015 से 25 दिसम्बर 2015 तक
एमआरएम	15 फरवरी 2016
अनुमोदन	30 जून 2016
अंतिम समीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	17 जुलाई 2015

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त जानकारी होती है : पीडीएस चूंकि निरंतर चलने वाला कार्य होता है, अतः हो सकता है इसके आरंभिक पाठ में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं हो, परंतु यह जैसे ही उपलब्ध होगी, इसमें सम्मिलिति की जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनंतिम और संकेतात्मक है।

एडीबी इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्ताओं को, किसी भी प्रकार के आश्वासन के बगैर, केवलतम संसाधन के रूप में उपलब्ध कराता है। जबकि एडीबी उच्च गुणवत्ता की विषयसामग्री उपलब्ध कराता है, तथापि उपलब्ध कराई गई जानकारी "जैसी है" आधार पर, व्यापारयोग्यता, किसी विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनातिक्रमण की सीमानिर्धारण वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, लिखित या अभिप्रेत, के बिना उपलब्ध कराई जाती है। एडीबी विशेष रूप से ऐसी किसी भी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।